(6)

न्यायालय : भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़।
परमिशन वाद संख्या 231/2015–16
कौलेश्वर राजवंश वगै० बनाम आरती देवी

18/02/16, 18/03/16, 18/03/16, 18/03/16

24/02/16 आवेदक कौलेश्वर राजवंश पिता पोखराज रजवार वो सुनील रजवार पिता तीरथ रजवार वो लक्ष्मण रजवार पिता भुनेश्वर रजवार वो छोटेलाल राजवंश पिता गुलैंची रजवार वो कुमार रजवार पिता जयनाथ रजवार सभी का निवासी ग्राम भरेचनगर साण्डी पो० भरेचनगर थाना माण्डू जिला रामगढ़ ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46–(1)(b) of 2nd Provisio के तहत् मौजा मरार थाना नं0 144 थाना रामगढ़ जिला रामगढ़ के खाता नं०– 08 प्लॉट नं0 28 रकबा 0.75 ए0 मध्ये रकबा 0.08 ए0 भूमि आरती देवी पति स्व0 निर्मल घांसी निवासी ग्राम वो पो0 मरार थाना वो जिला रामगढ़ के नाम से बिक्री करने की अनुमति हेतु आवेदन वकालतनामा के साथ दाखिल किया है।

आवेदक से प्राप्त आवेदन पत्र की प्रति जांच प्रतिवेदन देने के निमित अंचल अधिकारी, रामगढ़ को भेजें, साथ ही साथ आम ईश्तेहार निर्गत करें। जांच प्रतिवेदन एवं तामिला प्राप्त होने के उपरांत अभिलेख उपस्थापित करें।

(हस्ताक्षर) 24/2/16
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
रामगढ़।

15/03/16 अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, रामगढ़ के पत्रांक– 675 दिनांक 15/03/16 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। आम इश्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। दोनों पक्षों को उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 17/03/16 को रखें।

(हस्ताक्षर) 15/3/16
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
रामगढ़।

17/03/16 अभिलेख उपस्थापित।
प्र० पक्ष– उपस्थित
द्वि० पक्ष– उपस्थित।
अभिलेख आदेशार्थ हेतु रखें।

(हस्ताक्षर) 17/03/16
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
रामगढ़।

आरती देवी

न्यायालय : भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़।

परमिशन वाद संख्या 231/2015–16

कौलेश्वर राजवंश वगै0 बनाम आरती देवी

आदेश

7/03/16

इस वाद की कार्रवाई आवेदक कौलेश्वर राजवंश पिता पोखराज रजवार वो सुनील रजवार पिता तीरथ रजवार वो लक्ष्मण रजवार पिता भुनेश्वर रजवार वो छोटेलाल राजवंश पिता गुलैंची रजवार वो कुमार रजवार पिता जयनाथ रजवार सभी का निवासी ग्राम भरेचनगर साण्डी पो0 भरेचनगर थाना माण्डू जिला रामगढ़ ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा– 46–(1)(b) of 2nd Provisio के तहत् मौजा मरार थाना नं0 144 थाना रामगढ़ जिला रामगढ़ के खाता नं0– 08 प्लॉट नं0 28 रकबा 0.75 ए0 मध्ये रकबा 0.08 ए0 (आठ डी0) भूमि आरती देवी पति स्व0 निर्मल घांसी निवासी ग्राम वो पो0 मरार थाना वो जिला रामगढ़ के नाम से बिक्री करने के लिए अनुमति हेतु प्राप्त आवेदन पर प्रारम्भ किया गया है।

आवेदक से प्राप्त आवेदन पत्र की जाँच अंचल अधिकारी, रामगढ़ से करायी गयी है। साथ ही साथ आम ईश्तेहार निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, रामगढ़ के पत्रांक 675 दिनांक 15.03.2016 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। साथ ही आम ईश्तेहार तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। किसी के द्वारा कोई आपत्ति आवेदन इस न्यायालय को अप्राप्त। अंचल अधिकारी, रामगढ़ ने अपने प्रेषित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि आवेदक अपने हिस्से की भूमि, जो आवेदन पत्र में वार्णित है, मौजा मरार थाना नं0 144 थाना रामगढ़ जिला रामगढ़ के खाता नं0– 08 प्लॉट नं0 28 रकबा 0.75 ए0 मध्ये रकबा 0.08 ए0 (आठ डी0) भूमि घरेलु कार्य हेतु आरती देवी पति स्व0 निर्मल घांसी निवासी ग्राम वो पो0 मरार थाना वो जिला रामगढ़ के नाम से बिक्री करना चाह रहे हैं। आवेदित भूमि सर्वे खतियान में रैयती भूमि दर्ज है एवं खतियान में गनीआ रजवार के नाम से रैयती दर्ज है। अंचल अधिकारी, रामगढ़ ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि आवेदक को आवेदित भूमि बिक्री करने का पूर्ण अधिकार है। बिक्री की अनुमति के पश्चात् आवेदक के पास रकबा 3.64 ए0 भूमि बचती है तथा भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आते हैं। आवेदक के द्वारा क्रेता का अंचल अधिकारी, रामगढ़ के द्वारा निर्गत का जाति प्रमाण– पत्र, जिसका क्रम संख्या 3467 दिनांक 10.07.2013 तथा आवासीय प्रमाण–पत्र जिसका क्रम सं0 4056 दिनांक 10.07.2013 है। की छायाप्रति समर्पित किया गया है, जिसमें जाति घाँसी एवं थाना रामगढ़ दर्ज है। उक्त जाति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46–(1)(b) of 2nd Provisio के तहत् अनुसूचित जाति की सूची के क्रमांक 09 पर अंकित है। उक्त भूमि रैयती खाते की भूमि है। उपरोक्त तथ्यों से यह प्रमाणित होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं तथा एक ही जिला के निवासी हैं। अंचल अधिकारी, रामगढ़ के द्वारा उक्त भूमि की बिक्री की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी, रामगढ़ के अनुशंसा के आलोक में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46–(1)(b) of 2nd Provisio के तहत् आवेदक कौलेश्वर राजवंश पिता पोखराज रजवार वो सुनील रजवार पिता तीरथ रजवार वो लक्ष्मण रजवार पिता भुनेश्वर रजवार वो छोटेलाल राजवंश पिता गुलैंची रजवार वो कुमार रजवार पिता जयनाथ रजवार सभी का निवासी ग्राम भरेचनगर साण्डी पो0 भरेचनगर थाना माण्डू जिला रामगढ़ ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा– 46–(1)(b) of 2nd Provisio के तहत् मौजा मरार थाना नं0 144 थाना रामगढ़ जिला रामगढ़ के खाता नं0– 08 प्लॉट नं0 28 रकबा 0.75 ए0 मध्ये रकबा 0.08 ए0 (आठ डी0) भूमि घरेलु कार्य हेतु आरती देवी पति स्व0 निर्मल घांसी निवासी ग्राम वो पो0 मरार थाना वो जिला रामगढ़ के नाम से प्रचलित मूल्य, जो निबंधन कार्यालय के द्वारा निर्धारित भूमि–मूल्य की अद्यतन दर से कम न हो, पर बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। इसी आदेश के साथ वाद की कारवाई बन्द की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

17/03/16

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
रामगढ़।

17/03/16

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
रामगढ़।

18/03/16 18/3/16

आरती देवी

-री ग्राम मरार — 46-(1)(b) — प्लॉट

(8)

2रु. कोर्ट फी Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

धारा–46 छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत भूमि बिक्री हस्तान्तरण की अनुमति के लिये चेक स्लीप

बिक्री करने वाले आवेदक / आवेदनकर्ताओ का नाम व पता	(1) कौलेश्वर रजवार पिता- परसराम रजवार (2) सुनील रजवार पिता- तीरथ रजवार (3) लछुमन रजवार पिता- भुनेश्वर रजवार (4) छोटेलाल रजवार पिता- बुलेची रजवार (5) कुमार रजवार पिता- धर्मनाथ रजवार ग्रा०- आर्डो थाना- मांडु जिला- रामगढ़
क्रेता जिसके पक्ष में अनुमति मांगा गया है उसका नाम व पता	आरती देवी पति- स्व० निर्मल चासी ग्रा०- मरार थाना- रामगढ़ जिला- रामगढ़
बिक्री / हस्तान्तरण का प्रयोजन	घरेलू कार्य हेतु
आवेदक द्वारा कुल धारित भूमि का रकबा आवेदित भूमि का विवरण	मौजा: मरार; खाता: 08, 02, 08; प्लॉट: 25, 28; रकबा: 2.33, 10.776
बिक्री के लिये स्वीकृत भूमि का विवरण	मरार; 08; 28; 0.08
क्रेता विक्रेता दोनों एक ही जाति तथा एक ही ग्राम वो थाना निवासी है अथवा नहीं	क्रेता एवं विक्रेता दोनों अनुसूचित जाति के हैं एवं एक ही जिला के निवासी हैं।
क्रेता के पास पूर्व में कितनी भूमि है	शून्य
विक्रेता को अनुमति मिलने के पश्चात आवेदक के पास कितनी भूमि बचती है	3.640
बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात आवेदक भूमिहीन के श्रेणी में आते हैं अथवा नहीं	नहीं
आवेदक का भूमि बेचने का पूर्ण अधिकार है अथवा नहीं	हाँ
बिक्री की जाने वाली भूमि पर आवेदकों के स्वामित्व का पूर्ण विवरण	सर्वे खतियानी रैयत के वंशज
बिक्री की जाने वाली भूमि सरकार से बंदोबस्त किया गया है या सर्वे खतियानी रैयत है।	सर्वे खतियानी
खतियान के अनुसार आवेदित भूमि किस के नाम से है	धनीआ रजवार
दूसरे व्यक्ति आवेदक (विक्रेता) कौन हैं तो उसका और भी हिस्सेदार है। यदि है तो सभी हिस्सेदारों का अलग–अलग हिस्सा का पूर्ण विवरण	आपसी बँटवारा
बिक्री के स्वीकृति के संबंध में अंचल अधिकारी का मन्तव्य अतः भूमि हस्तान्तरण की अनुमति दी जा सकती है	महाशय, आवेदित भूमि ग्राम मरार के खाता नं० 8 सर्वे खतियान धनीआ रजवार के नाम से दर्ज है जिसका जमाबंदी पंजी II के पृष्ठ सं० 6/I में धनी रजवार के नाम से कायम है। क्रेता एवं विक्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य आते हैं एवं एक ही जिला के निवासी हैं भूमि बिक्री के बाद भी भूमिहीन के श्रेणी में नहीं आते हैं अतः भूमि बिक्री की अनुमति दी जा सकती है।

कर्मचारी
हल्का न०

अंचल निरीक्षक

हल्का ... के आवेदन के आलोक में
मौजा – खाता नं० – प्लॉट नं० – रकबा
मरार – 08 – 28 – 0.08 ए०
की बिक्री करने की अनुमति दी जा सकती है।

अंचल अधिकारी
रामगढ़

भूमि सुधार उप समाहर्ता
रामगढ़

...संख्या 5014 के संदर्भ में ... संख्या ... दिनांक ...11.69 के अनुसार

8/3/16

मेरे द्वारा ...
प्रति ...

8/3/16

निवेदनकर्ता आरती देवी